अपील सं० 03/2017
दामोदर आदि V/s अतरी वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/01/21	अपीलान्ट द्वारा अपील रेस्पोन्डेन्ट्स के विरुद्ध नामा० 165 ग्राम श्रीनगर निर्णय दिनांक 20/01/2012 ग्राम पंचायत कुरसों पेश कर अंकित किया है कि आराजी खसरा नं० $\frac{1751}{0.65}$, $\frac{1756}{1.32}$ कीता 2 कुल रकबा 0.97 हे० में अपीलान्ट सं० अपीलान्ट 03 के पिता तथा अपीलान्ट 04 के पति श्री रतीराम पुत्र पन्नीराम 1/15 भाग के रिकार्डेड खातेदार, काबिज आराजी था जिसके स्वर्गवास के बाद उसके उक्त हिस्से पर अपीलान्ट व हैसियत खातेदार काश्तकार काबिज आराजी हैं। रतीराम का स्वर्गवास दिनांक 07.08.2013 को हो गया है लेकिन पटवारी हल्का, गिरदावर व सरपंच ग्राम पंचायत कुरसों ने रेस्पोन्डेन्ट 01 से मिलकर करते हुए उक्त रतीराम पुत्र पन्नी जाटव निवासी श्रीनगर तक पन्नीराम की उक्त छोड़ी हुई आराजी का नामान्तकरण विरासत उसके वारिसान अपीलान्ट के हक में न खोलकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 01 के हक में दिनांक 20.01.2012 स्वीकृत कर दिया है जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 01 उक्त मृतक रतीराम की पुत्री नहीं है। उक्त नामान्तकरण संख्या 165 सर्वथा गलत, गैरकानूनी है जिससे अपीलान्ट्स के हक में भारी प्रभाव पड़ता है नामान्तकरण संख्या 165 गैर अपील ग्राम पंचायत कुरसों द्वारा विधि प्रावधानों के प्रतिकूल स्वीकृत किया। अपीलान्ट के पिता व पति श्री रतीराम पुत्र पन्नी का दिनांक 07.08.2013 को देहान्त हुआ है जबकि पटवारी हल्का में उक्त नामा० दिनांक 20/1/2012 को दिनांक 03/11/2013 को मृतक बताते हुए खोल दिया नामान्तकरण गैर कानूनी, निरस्त योग्य है।	

लगातार-2

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.01 16:51:47 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	लगातार - - -
	बाध्य अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा जारी
	अपील बाबत विधिवत जांच नहीं की गई
	ना ही अपीलार्थी को सुनने का अवसर दिया
	रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 द्वारा दिनांक 05.02.2017 को
	वमुकाम श्रीनगर तहसील बयाना बेदखल करने
	व कब्जा करने की धमकी दी है। दिनांक 07.02.2017
	को उक्त नामान्तकरण की नकल प्राप्त
	होने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई है। अपील
	अन्दर मियाद पेश है।
	अन्त में अपील अपीलार्थी स्वीकार करने
	का निवेदन किया।
	अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर
	रेस्पोंडेन्ट्स को जरिए नोटिस तलब किया।
	रेस्पोंडेन्ट संख्या की दिनांक 06/02/2020 से
	रेस्पोंडेन्ट संख्या 1/1, 1/2 की दिनांक 16/3/2020
	रेस्पोंडेन्ट संख्या की न्यायालय द्वारा
	एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 03 की अनुपस्थिति
	के आदेशिका दिनांक 27/10/2020 से
	दर्ज की गई।
	हमने बहस एकतरफा अभिभाषक अपीलार्थी
	की सुनी। पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख
	की प्रति दिनांक 20.01.2012, रजिस्टर
	नामान्तरण 165 जो जन्म-
	मृत्यु पंजीयन के मृत्यु प्रमाण पत्र जो जन्म-
	मृत्यु रजिस्ट्रार ग्राम पंचायत द्वारा जारी दिनांक
	06.01.2014 को द्वारा जारी एक शपथ पत्र ग्राम पंचायत
	पुराने हैं जारी रजिस्टर के अतिरिक्त की द्वारा
	प्रति का अवलोकन किया। अपीलार्थी के
	पिता की मृत्यु (मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार) दिनांक
	07.08.2013 को हुई है जबकि नामान्तकरण
	संख्या 165 अनुसार विरासत का नामान्तकरण
	ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.01.2012 को
	लगातार - -

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.01 16:51:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बयाना

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	# 2017/00053 3/17 उनवान - - दामोदर vs भरती अपील	

स्वीकृत किया है। मृत्यु होने के पूर्व ही विरासत का नामान्तरकरण दर्ज हुआ है। वह भी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 01 के नाम जबकि ग्राम-पंचायत पुस्तिका द्वारा स्वीकृत में वारिसान में रेस्पोन्डेन्ट 01 का जिक्र नहीं है। अपीलार्थी ही वारिस अंकित है।

और नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व ग्राम-पंचायत पुस्तिका द्वारा मृतक के कानूनी वारिसान की विधिवत जाँच नहीं की है। नामान्तरकरण स्वीकृत करने में कानूनी भूल की है। अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश -

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। नामान्तरकरण संख्या 165 निर्णय दिनांक 20/01/2012 ग्राम श्रीनगर निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बयाना को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह मृतक स्त्रीमन के विधिक वारिसान की जाँच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.01 16:51:47 IST
Reason: SelfAttested